जे.पी.आर.5– 858
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – se_comml@yahoo.in

क0 जेपीडी/अधी.अ.(वा.)/सी–I/पत्रा/प्रे0 488 जयपुर, दिनांक– 30/05/2017

आदेश

विषय : ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्र में घरेलु कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित 11 के.वी. लाइन से 650 मीटर की दूरी तक स्थित आवासों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु आदेश संख्या 1258 दिनांक 16.09.2016 (जेपीआर 5–808) जारी किया गया था। इस आदेश के अनुसार कम से कम चार आवेदक होने पर 150 मीटर तक 11 के.वी. लाइन खींचकर एवं 5 के.वी.ए. या अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन देने का प्रावधान था। इसके लिये प्रति आवेदक 10000 रू. की राशि जमा करानी थी एवं स्थापित ट्रांसफार्मर से सर्विस लाइन आवेदक को स्वंय के खर्चे पर डालनी थी।

क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि उपभोक्ता द्वारा 500 मीटर तक सर्विस लाईन स्वंय के द्वारा डालने पर सर्विस लाइन की गुणवत्ता सही नहीं होने की संभावना है, एवं उपभोक्ता द्वारा सर्विस लाइन उचित तरीके से नही डालने पर दुर्घटना की संभावना भी रहेगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत् विद्युतीकृत गांवो एवं ढ़ाणियों में चिन्हित बी.पी.एल. परिवारों को निःशुल्क एवं ए.पी.एल. परिवारों को आवेदन शुल्क रू. 200 एवं रू. 1500 जमा करके कनेक्शन दिये जा रहे है। इसके अतिरिक्त आदेश संख्या जेपीआर 5–837 के तहत् गैर आबादी क्षेत्र में स्थापित एल.टी. लाइन से 100 मीटर तक सर्विस लाइन डालकर एवं आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाकर आवेदन शुल्क रू. 200 एवं रू. 3500/– जमा करके घरेलु कनेक्शन दिये जा रहे है। मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलू कनेक्शन योजना में वसूल की जा रही राशि उपरोक्त राशि की तुलना में बहुत अधिक है, जिसकी वजह से अधिकांश घरेलू आवेदक यह राशि वहन नही करने की स्थिति में कनेक्शन से

वंचित रह जावेंगे। जबकि केन्द्र सरकार के उद्देश्य यथासम्भव घरेलु आवेदकों को विद्युत उपलब्ध करवाना है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये ग्रामीण गैर आबादी क्षेत्रों में छितरायें हुये आवासों को कनेक्शन दिये जाने हेतु पूर्व में जारी आदेशों को अधिक्रमित कर निम्नालिखित संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :

1. इस योजना में स्थापित 11 केवी सिंगल फेस लाइन का विस्तार कर 5 केवीए या अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करके आवासों को विद्युत कनेक्शन कराये जावेंगे। 100 मीटर की परिधि में कम से कम 3 या अधिक आवेदक होने पर लोड सेन्टर पर उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करके कनेक्शन दिये जा सकेंगे।
2. इस योजना में रू. 200/– आवेदन शुल्क लेकर नये आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे एवं बिन्दु संख्या 1 के अनुसार साध्य होने पर रू. 3500/– जमा करवाकर कनेक्शन दिये जा सकेंग। पूर्व में मुख्यमंत्री ग्रामीण घरेलु कनेक्शन योजना के तहत् 31 जनवरी 2017 तक पंजीकृत साध्य प्रत्येक एपीएल आवेदक से आवेदन शुल्क रूपये 200/– व सर्विस कनेक्शन शुल्क रू 3500 /– की राशि जमा करवाई जावेंगी एवं पूर्व में जमा पंजीकरण राशि रू. 100/– आवेदन शुल्क में समयोजित की जावेगी। बीपीएल परिवारों को निशुल्क कनेक्शन दिये जावेंगे।
3. उपरोक्त कनेक्शन कम से कम तीन (3) या अधिक के समूह में दिये जावेंगे, इसके लिए 5 केवीए या अधिक उचित क्षमता का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर लोड सेन्टर के नजदीक लगाया जायेगा। ट्रांसफार्मर से उपभोक्ता के परिसर तक एल.टी. लाइन एवं सर्विस लाइन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जावेंगी एवं आवश्यकतानुसार पोल लगाकर स्थापित की जावेगी। ट्रांसफार्मर के पोल पर मीटर बॉक्स स्थापित करके यथासम्भव LPR मीटर लगाकर कनेक्शन जारी किये जावेंगे। भविष्य में भी स्थापित ट्रांसफार्मर में क्षमता होने पर रू. 3500/– जमा करके ट्रांसफार्मर की क्षमता के अनुरूप कनेक्शन दिये जा सकेगे।
4. इस योजना के अन्तर्गत एचटी लाइन, एलटी लाइन एवं ट्रांसफार्मर स्थापित करने का खर्चा जिले की स्वीकृत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में उस जिले की स्वीकृत वित्तीय सीमा तक कराया जा सकेगा।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्यअभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR